

न्यायालय तहसीलदार / नायब तहसीलदार, गडरारोड़

राजस्व प्रकरण सं.

अन्तर्गत धारा 91 आर. एल. आर. एक्ट 1956

सायल

बनाम

गैर सायल

राजस्थान सरकार

श्री इशारसिंह पुत्र श्री राजसिंह

जरिये पटवारी हल्का

कौम खनसू निवासी ब-श-३

ब-श-३

तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर

“निर्णय”

दिनांक ०५/०५/१८

पत्रावली आज बमुकाम पत्रावली में पेश हुई गैर सायल उपस्थिति। पत्रावली का हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का ब-श-३ ने धारा आर. एल. आर. एक्ट 91 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है। कि गै. सा. ने मौका १०२५ के खसरा नं. रकबा बीघा में से २.०० बीघा किस्म क-३ राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण काश्त/कब्जा किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार गैर सायल के विरुद्ध धारा 91 आर. एल. आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को जरिये नोटिस के सुनवाई हेतु तलब किया गया नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ / और गैर सायल ने उपस्थित होकर पटवारी की रिपोर्ट अनुसार अतिक्रमण करना स्वीकार किया।

अतः गैर सायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 91 का उल्लंघन कराने पर गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त विवादग्रस्त भूमि पर से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं साथ ही वार्षिक लगान दर रुपये पैसा गुणा जुमाना ग्रहण रुपये ५० पूर्णांक में रुपये अक्षरे रु. ५० रुपये मात्र से आरोपित किया जाता है। जो गैर सायल से वसूल हो।

निरीक्षक भू.अ. वृत को आदेशित किया जाता है कि वह मौके पर खड़ी फसल को तत्काल कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर फसल निलामी फर्द वास्ते अनुमादनार्थ एवम् स्वीकृति हेतु 15 योम में पेश करे।

पटवारी हल्का को आदेशित किया जाता है कि वह गैर सायल को भैतिक रूप से बेदखल कर भूमि का कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर पूर्ण पालना आवश्यक रूप से एक माह में पेश करें।

टी.आ.ए. पटवारी हल्का, निरीक्षक भू.अ. आदेश से सुचित हो तथा पत्रावली टी.आ. ए. के पास मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

निर्णय दिनांक ०५/०५/१८ को सरेआम सुनाया गया।

जुमाना ५० फसल नि.
कुल योग ५० रजि.के पृष्ठ सं. ०६
वर्ष १०/१८-१९ में इन्द्राज किया गया।

रजि.के
तहसील राजस्व लेखाकार

तहसीलदार गडरारोड़
जिला-बाड़मेर
तहसीलदार गडरारोड़